

प्रश्न सं. [क. 893]

**मध्यप्रदेश शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय**

क्रमांक- 4706/3301713/2025/MRD/12/Part भोपाल, दिनांक - 19.11.2025

प्रति,

प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय,
भोपाल।

विषय:- विधानसभा सत्र जुलाई-अगस्त, 2025 के तारांकित प्रश्न क्रमांक 2856 द्वारा माननीय विधायक श्री हरिशंकर खटीक के संबंध में संशोधन वक्तव्य बावत।

उपरोक्त विषयांतर्गत कृपया विधानसभा सत्र जुलाई-अगस्त, 2025 के तारांकित प्रश्न क्रमांक 2856 द्वारा माननीय विधायक श्री हरिशंकर खटीक का अवलोकन किये जाने का अनुरोध है। विभाग द्वारा उक्त प्रश्न का उत्तर दिनांक 24.07.2025 से मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय को प्रेषित किया गया था। जिसके उत्तर भेजने की दिनांक 25.07.2025 एवं सदन में उत्तर देने की दिनांक 05.08.2025 नियत थी। इस प्रश्न के प्रश्नांश (ग) में संशोधन किया जाना है। अतः विधानसभा सत्र जुलाई-अगस्त, 2025 के तारांकित प्रश्न क्रमांक 2856 का संशोधन वक्तव्य 03 प्रतियों में आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न सादर संप्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।


19/11/25

(प्रकाश पन्ने)

अवर सचिव

म0प्र0 शासन, खनिज साधन विभाग

पृष्ठ. क्र. 4707/3301713/2025/MRD/12/Part भोपाल, दिनांक:- 19.11.2025
प्रतिलिपि:-

1. स्टॉफ ऑफिसर, मुख्यमंत्री कार्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव कार्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, संसदीय कार्य विभाग, भोपाल।
4. संचालक (प्रशासन तथा खनिकर्म), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. गार्ड फाईल।


19/11/25
(प्रकाश पन्ने)
अवर सचिव

म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग

म0प्र0 शासन, खनिज साधन विभाग